भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 229436

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि– रू0 2,35,539/–

बाजारू मूल्य – रू0 1,86,250/–

अदा किये गये जनरल स्टाम्प– रू0 23,600/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – बरौना
4. सम्पत्ति का विवरण – भूमि खसरा संख्या 218 रकबा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

D 353433

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.298 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.149 हे0 स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	—	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	0.149 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	—	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	—	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	—	नहीं
10.	बोरिंग / कुआं अन्य	—	कुछ भी नहीं है।

सोनू

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 353434

चौहद्दी खसरा नं0 218

उत्तर	: चकरोड
दक्षिण	: खसरा नं0–224
पूरब	: खसरा नं0–219
पश्चिम	: खसरा नं0–216, 217, 214

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
रामचन्द पुत्र छोटेलाल निवासी– ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	:	सोनू पुत्र राजू निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।

रामचन्द

सोनू

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 353435

व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख रामचन्द्र पुत्र छोटेलाल निवासी-ग्राम-बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् सोनू पुत्र राजू निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विकेता भूमि खसरा संख्या 218 रकबा 0.298 है० का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.149 है० स्थित ग्राम- बरौना,

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 945922

परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00320 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों मे हो गया है। विक्रेता पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकारी प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल

सोनू

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

955674

व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि नही है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके

वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **2,35,539**/– के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारो के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल

सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 12,50,000/— प्रति हेक्टेअर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.149 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,86,250/— होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **23,600/—** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एव

विक्रय पत्र

235,339.00/	186,250.00	4,720.00	20	4,740.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती राम चन्द्र
पुत्र / पत्नी श्री छोटेलाल
पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम बरौना लखनऊ
अस्थायी पता

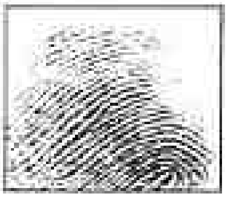

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 11/1/2008 समय 6:33PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
11/1/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती राम चन्द्र
पुत्र/पत्नी श्री छोटेलाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम बरौना लखनऊ

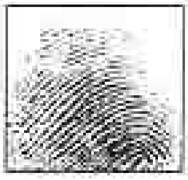

क्रेता
श्री/श्रीमती सोनू
पुत्र/पत्नी श्री राजू
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मिर्जापुर बिटारी फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा
पुत्र श्री पी0 सी0 सिन्हा
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग लखनऊ

व श्री संजय सिंह
पुत्र श्री राजाराम
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम दैवामऊ लखनऊ
ने की।

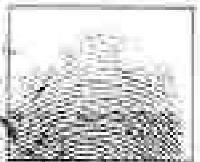

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
11/1/2008

क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 2,35,539/– द्वारा चेक संख्या– 609996 दिनांकित 11.01.2008 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 2,35,539/– (रूपया दो लाख पैंतीस हजार पांच सौ उन्तालिस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊः
दिनांक : 11.01.2008

गवाह :–क्रेता की पहचान की

1.

विक्रेता

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

टाईपकर्ता

(गोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 420 Year : 2008 Book No: 1

0101 राम चन्द्र

छोटेलाल

ग्राम बरौला [illegible]

कृषि

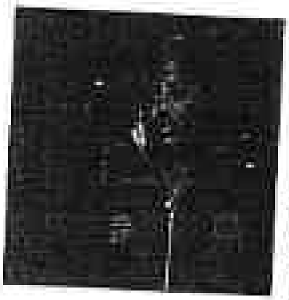

नक्शा खसरा खतौनी संख्या 21 व 218 ग्राम बरवाड़ा

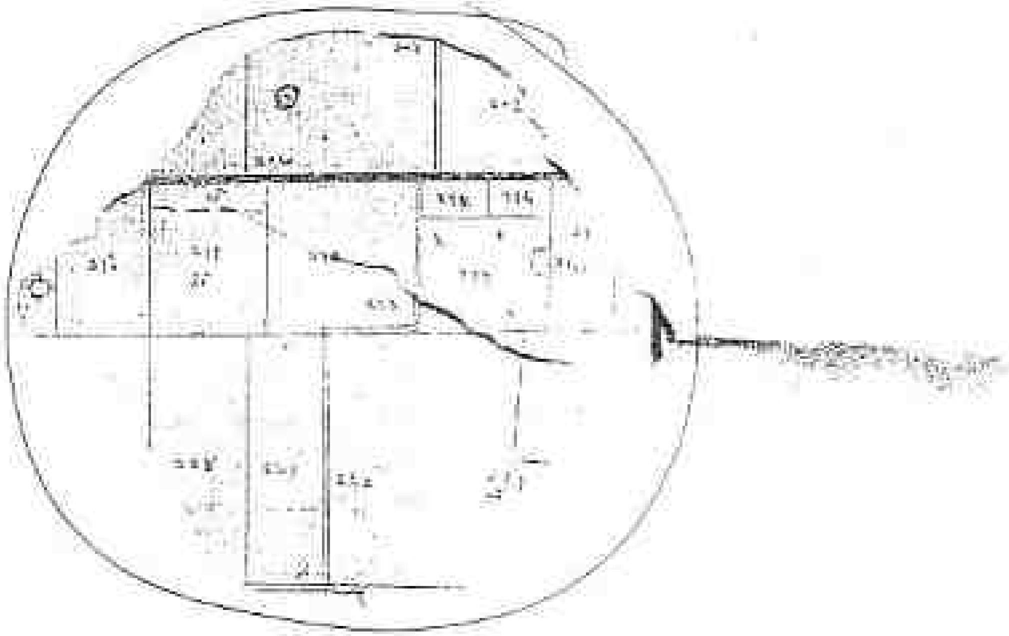

सोनू

(C) 45

क्रेता

Registration No. 420 Year : 2008 Book No. 1

0201 सोनू

राजू

ग्राम मिर्जापुर बिठारी फतेहपुर

कृषि

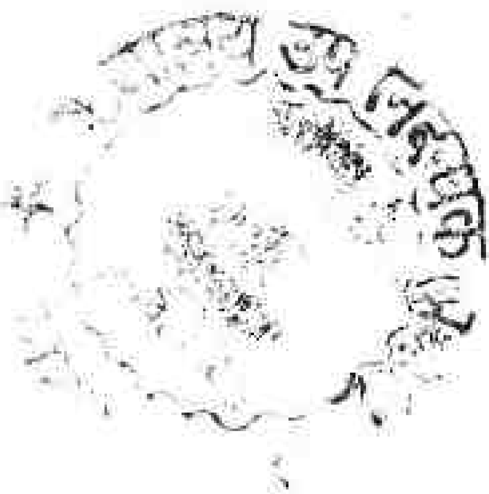

32(क) के अनुपालन हेतु, फिंगर प्रिन्ट्स
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:- रामचन्द्र पुत्र छोटेलाल निवासी–ग्राम–बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

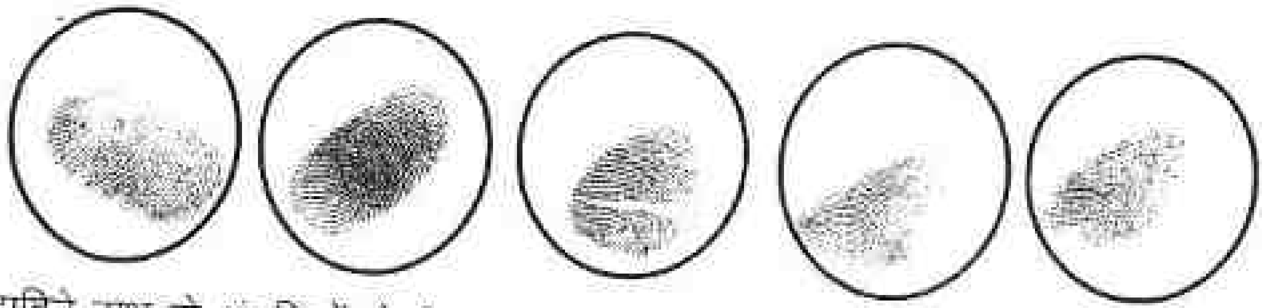

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

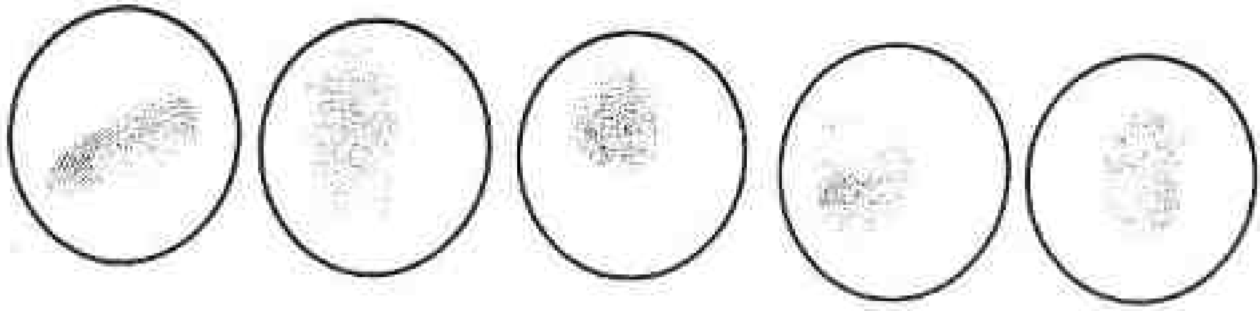

रामचन्द

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- सोनू पुत्र राजू निवासी-ग्राम-मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-नौगाव, तहसील व जिला फतेहपुर
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह-

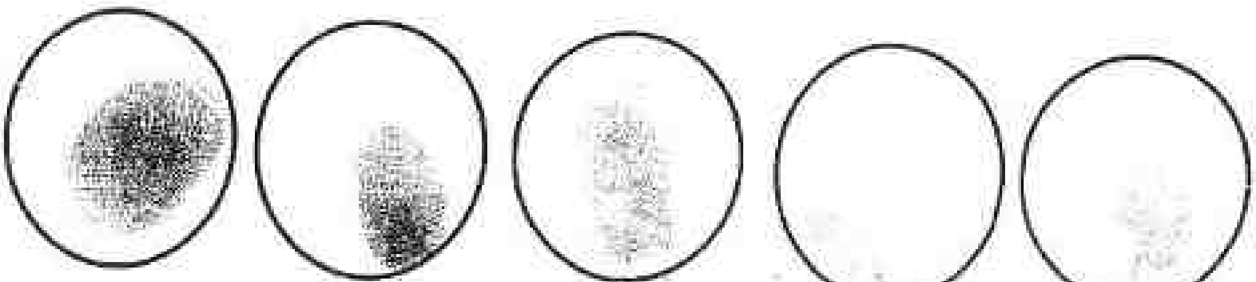

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

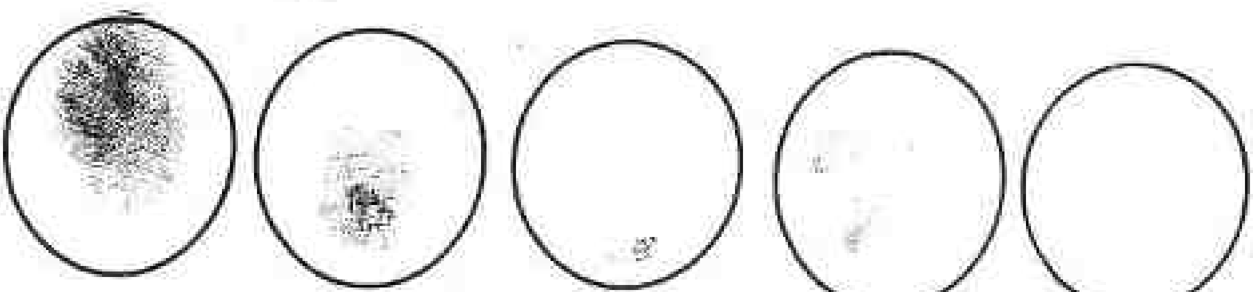

क्रेता के हस्ताक्षर
सोनू

आज दिनांक **11/01/2008** को

बही सं **1** जिल्द सं **8848**

पृष्ठ सं **261** से **282** पर क्रमांक **420**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एच.के. पान्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/1/2008